सत्यमेव जयते

भारत सरकार/Govt. of India

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय)

Town Official Language Implementation Committee(Offices)

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, रेलवे बोर्ड भवन, दि माल, शिमला

O/o The Chairman, TOLIC & Chief Commissioner of Income Tax, Railway Board Building, Shimla.

फा.सं.: मु.आ.आ./47/नराकास/बैठक/2017-18/ दिनाँक: 31.08.2017

कार्यालय ज्ञापन :

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिमला की बैठक दिनांक 28.08.2017 को आयोजित की गई। बैठक के कार्यवृत्त सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य। अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर शीघ्र कार्रवाई करके इस कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजें। कार्यवृत्त के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो कृपया 15 दिन के भीतर इस कार्यालय को भेजें।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
3. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
4. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
5. उप-निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर क्षेत्र-1), दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
6. उप-निदेशक (राजभाषा) (मुख्या.), आयकर निदेशालय (मु.प्र.ज.सं एवं राजभाषा), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजभाषा प्रभाग, छठी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली।
7. उप-निदेशक (राजभाषा), मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, कमरा नं. 210डी, विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
8. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, सी.जी.ओ. कॉपलैक्स, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
9. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
10. सभी अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (उ. प. क्षेत्र)।

(डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
उप-निदेशक (राजभाषा) एवं
सचिव, न.रा.का.स.
मोबाइल नं. 9530702020

Scanned by CamScanner

शिमला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.08.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत

1. शिमला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक **दिनांक 28.08.2017** को सांय 03:30 बजे मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष, रेलवे बोर्ड भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान आयकर आयुक्त, हि.प्र. एवं समिति उपाध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी ने की।

2. बैठक में **उपस्थित सदस्यों की हस्ताक्षरित सूची संलग्न है।**

3. सर्वप्रथम समिति सचिव डॉ0 सुरेन्द्र शर्मा ने समिति उपाध्यक्ष, श्री प्रीतम सिंह, प्रधान आयकर आयुक्त एवं उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। तत्पश्चात् सदस्यों के परिचय के बाद बैठक की कार्रवाई आरंभ हुई।

   बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री प्रीतम सिंह जी ने कहा कि समिति अध्यक्ष श्रीमती सोनाली अरोड़ा, मुख्य आयकर आयुक्त को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा है अतः उनकी अनुपस्थिति में वे बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।

4. यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक के कार्यवृत सभी सदस्य कार्यालयों को भेज दिए गए थे। किसी भी सदस्य कार्यालय से कोई सुझाव या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः बैठक में सर्वसम्मति से इन्हें पारित कर दिया गया।

5. यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार इस वर्ष **काव्य पाठ प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित की जाएगी।** प्रथम चरण के प्रथम 10 प्रतियोगी ही दूसरे चरण में भाग लेंगे और दूसरे चरण का आयोजन दूरदर्शन केन्द्र में किया जाएगा। इसी तरह **प्रश्न मंच प्रतियोगिता** में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रश्न ज्यादा कठिन न हों।

6. यह सूचित किया गया कि नैशनल ऑडिट एव लेखा अकादमी में **संयुक्त हिन्दी कार्यशाला** का आयोजन नहीं किया जा सका क्योंकि समुचित संख्या में प्रतिभागी नामित नहीं किए गए। **यह निर्णय लिया गया कि** सभी सदस्य शीघ्र अपने कार्यालयों से कर्मचारी नामित करें और जैसे ही समुचित संख्या में नाम प्राप्त हो जाएंगे, कार्यशाला आयोजित कर ली जाएगी।

7. **वार्षिक अंशदानः** सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे समिति को दिए जाने वाले अंशदान की राशि शीघ्र भेजे ताकि समिति के कार्यक्रम सुचारू ढंग से चल सकें। अंशदान की राशि चैक द्वारा अथवा सचिव नराकास के बैक खाता संख्या 10835936138 IFC Code SBIN0000718 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रॉंस्फर कर सकते हैं।

8. **सदस्यों से अनुरोध किया गया कि** वे समिति की बैवसाइट पर लोड़ करने के लिए अपने कार्यालयों से राजभाषा संबंधी कार्यक्रमों के फोटोग्राफ एवं सूचनाएं भेजें। इस संबंध में मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय में कार्यरत श्री राजेन्द्र चौहान वरि. निजि सचिव से संपर्क किया जा सकता है क्योंकि वे **बैवसाइट** से संबंधित कार्य देखते हैं।

10. **संयुक्त पत्रिका का प्रकाशन** : समिति की पत्रिका **"यात्रा"** की सामग्री का संकलन कर लिया गया है। राजभाषा समारोह से पहले इसका प्रकाशन कर लिया जाएगा। इसके लिए अभी भी सदस्य अपने कार्यालयों से रचनाएं भेज सकते हैं। सदस्यों से यह पुनः अनुरोध किया गया कि वे पत्रिका के प्रकाशन में विज्ञापन देकर भी अपना सहयोग अवश्य करें। सहयोग विज्ञापन के लिए निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई हैः

Scanned by CamScanner

1. आवरण का अंतिम रंगीन पृष्ठ = रुपए 12000/–
2. अंदर का रंगीन पृष्ठ = रुपए 10000/–
3. दो रंगों का पृष्ठ = रुपए 8000/–
4. दो रंगों का आधा पृष्ठ = 5000/–

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि पत्रिका के निम्नलिखित संपादक मंडल का गठन किया जा चुका है।

1. श्री राजेश कुमार, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान – संयोजक
2. डॉ. पंकज कपूर, केन्द्रीय विद्यालय, जतोग
3. डॉ राजेश्वरी गौतम, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय

11. **कार्यालयध्यक्षों को पुरस्कार** : वर्ष 2015–16 में किए गए कार्य के आधार पर कार्यालयध्यक्षों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को निर्धारण के लिए निम्नलिखित निर्णायक मंडल का गठन किया जा चुका है। यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2016–17 के पुरस्कारों का निर्धारण भी कर लिया जाए।

1. सुश्री ऊषा गोस्वामी, भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय
2. श्री एन.डी. शर्मा, डाक विभाग
3. श्री मनोहर ग्रेवाल, लेखा परीक्षा अधिकारी

12. **वार्षिक राजभाषा का आयोजन** : यह निर्णय लिया गया कि समिति के **वार्षिक समारोह** के आयोजन के लिए समिति उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की एक उप समिति का गठन किया गया है। सदस्य के सुझाव के बाद इसमें कुछ सदस्य और शामिल किए गए। यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लिए संयुक्त समारोह का आयोजन किया जाए और समिति अध्यक्ष से चर्चा के बाद समारोह की तिथि निश्चित की जाए।

1. श्री प्रीतम सिंह, प्रधान आयकर आयुक्त, अध्यक्ष
2. सुश्री धारा सरस्वती, दूर दर्शन केन्द्र
3. श्री हीर चंद नेगी, आकाशवाणी केन्द्र
4. सुश्री ऊषा गोस्वामी, भारतीय वन सर्वेक्षण
5. श्री राजेन्द्र चौहान, आयकर कार्यालय
6. श्री वीरेन्दर सूद, आयकर अधिकारी
7. सुश्री राजेश्वरी गौतम, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय
8. सुश्री पंकज कपूर, केन्द्रीय विद्यालय, जतोग
9. सुश्री पूजा, पासपोर्ट कार्यालय
10. श्री सुरेश कुमार, सी.पी.आर.आई.
11. श्री राजेश कुमार, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
12. श्री प्रभात कुमार, नेहरू युवा केन्द्र

13. **छमाही रिपोर्टों की समीक्षा** : बैठक में सदस्यों छमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. **हिन्दी में पत्राचार** यह सूचित किया कि लक्ष्यों के अनुसार सारा पत्राचार हिन्दी में होना चाहिए। निम्नलिखित कार्यालयों में 95% या इससे अधिक पत्राचार हिन्दी में हो रहा है जोकि सराहनीय है :

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिशत
1.	स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, शिमला रेलवे स्टेशन–4	100%
2.	केन्द्रीय विद्यालय जतोग छावनी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	100%

Scanned by CamScanner

3.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, शिमला–171005	100%
4.	गीत और नाटक प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिमला केन्द्र	100%
5.	अधीक्षक अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कैनेडी कॉटेज, शिमला–171004	99.96%
6.	उप कमाण्डेंट कार्यालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, शिमला एयरपोर्ट, शिमला	100%
7.	युवा समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र, भारत सरकार, डोगरा लॉज, शिमला–171004	98.00%
8.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला–171003	98.91%
9.	श्रम ब्यूरो, क्लेरेमोंट, शिमला–4	98.5%
10.	महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171003	98.00%
11.	क्षेत्रीय निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, शिमला–171003	97.7%
12.	मौसम केंद्र, क्लीफ एंड इस्टेट, बिबरा हाउस, शिमला–171001	98.00%
13.	भाकृअनुप–भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, फलावरडेल, शिमला–2	96.00%
14.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, हि. प्र.	94.68%
15.	निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001	97.11%
16.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला–3	98.00%
17.	दूरदर्शन केन्द्र	97.00%
18.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	99.5%
19.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय	95.7%

कुछ कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए ठोस उपाए किए जाने की आवश्यकता है। जिन कार्यालयों में पत्राचार कम था उनके प्रतिनिधियों ने पत्राचार की मात्रा बढ़ाने का आश्वासन दिया।

2. चर्चा के दौरान प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) ने कहा कि केवल अग्रेषण पत्र ही हिन्दी में नहीं होने चाहिए अपितु समस्त कार्य हिन्दी में होना चाहिए।

3. **हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर** : एक–दो कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देने से नियम (5) का उल्लंघन दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए जाएं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

4. चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शेष है वे अपने कर्मचारियों को पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षित कराएं। इससे संबंधित जानकारी राजभाषा विभाग की बैवसाइट पर उपलब्ध है।

5. **धारा 3(3) का अनुपालन** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले दस्तावेज जैसे सामान्य आदेश इत्यादि अनिवार्य तौर पर द्विभाषी ही जारी होने चाहिए। दो–तीन कार्यालयों ने धारा 3(3) का उल्लंघन दिखाया है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कार्यालय में इसका उल्लंघन न हो। सदस्यों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि धारा 3(3) के अधीन उन्हीं दस्तावेजों के आँकड़े दिखाए जाएं जो इसमें शामिल हैं।

6. **हिन्दी में नोटिंग** : यह सूचित किया गया कि अधिकतर कार्यालयों में हिन्दी में नोटिंग के लिए निर्धारित 75% के लक्ष्य से अधिक है। लेकिन कुछ कार्यालयों में 75% से कम नोटिंग हो रही है अतः इनमें हिन्दी में नोटिंग की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की

Scanned by CamScanner

आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी में नोटिंग लिखना आसान है क्योंकि प्रचलित अंग्रेजी के शब्द को भी देवनागरी में लिखा जा सकता है।

7. **हिन्दी पुस्तकों पर व्यय** : यह सूचित किया गया कि लक्ष्यों के अनुसार पुस्तकों की खरीद पर होने वाले कुल व्यय का 50% हिन्दी पुस्तकों पर खर्च होना चाहिए। इसमें ई–बुक भी शामिल हैं। जहाँ अधिकांश कार्यालयों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। कुछ कार्यालयों में हिन्दी की पुस्तकों की तुलना में अंग्रेजी की पुस्तकों पर बहुत अधिक व्यय दिखाया गया है। अतः भविष्य में इस लक्ष्य का पालन करें। यह भी स्पष्ट किया गया कि अब जर्नल और मानक संदर्भ ग्रंथों पर होने वाले व्यय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

8. **राजभाषा समिति की बैठकों का आयोजन** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक तिमाही होना चाहिए लेकिन कुछ कार्यालयों में बैठकों का आयोजन ही नहीं किया है और कुछ में केवल एक ही बैठक आयोजित की गई है। अतः इनके कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि बैठकों का नियमित आयोजन हो।

9. **हिन्दी में कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना** : यह सूचित किया गया कि भारत सरकार की हिन्दी में मूल करने के लिए प्रोत्साहन योजना अभी तक कई कार्यालयों में या तो लागू नहीं की गई है अथवा उसमें किसी ने भाग नहीं लिया है। यह भी सूचित किया गया कि अब राजभाषा विभाग ने पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी है। अब प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 5000/–, 3000/– एवं 2000/– रुपए के हैं और एक कार्यालय में 10 पुरस्कार दिए जा सकते है। अतः इस योजना को सभी कार्यालयों में लागू किया जाए और इसमें कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।

10. बैठक में **वार्षिक कार्यक्रम 2017–18 में निर्धारित** लक्ष्यों के बार में चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करें और अगली बैठक में प्रयासों की जानकारी दें।

11. बैठक में **संसदीय राजभाषा समिति के 9 वें खण्ड** की सिफारियों पर राष्ट्रपति महोदय के आदेशों पर भी चर्चा की गई और सदस्यों के कहा गया कि वे इनके अनुसार अपने–अपने कार्यालयों में कार्य करें। अगले निरीक्षणों के दौरान संसदीय समिति इनके बारे में अवश्य जानकारी मांगेगी। इन आदेशों को राजभाषा विभाग की बैवसाइट से डाऊलोड किया जा सकता है।

12. बैठक में **समिति स्तर पर वर्ष 2017–18 में किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गएः**

हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन

क्र.सं.	हिन्दी प्रतियोगिता		आयोजक कार्यालय	दिनांक
1.	निबंध		भारतीय वन सर्वेक्षण उत्तरी अंचल, केन्द्रीय कार्यालय परिसर लौंगवुड, शिमला। (फोन–2658285)	04.10.2017
2.	नोटिंग / ड्राफ्टिंग		केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, बैम्लोई, शिमला (फोन–2625073)	06.10.2017
3.	कंप्यूटर पर हिन्दी टाइप		राष्ट्रीय लेखा तथा लेखा परीक्षा अकादमी यारोज, शिमला (फोन–2653037)	09.10.2017
4.	स्मरण शक्ति		केन्द्रीय विद्यालय, जाखू	10.10.2017
5.	कविता पाठ	प्रथम चरण	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रीय निवास, चौड़ा मैदान, शिमला(फोन–2831379)	11.10.2017
		द्वितीय चरण	दूरदर्शन केन्द्र, अम्बेदकर चौक,	27.10.2017

Scanned by CamScanner

		शिमला–4(फोन–2811450)	
6.	शब्दज्ञान/अनुवाद	चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश सर्कल, शिमला (फोन–2629001)	12.10.2017
7.	चित्र कहानी लेखन	प्रधान आयकर आयुक्त, रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, दि माल, शिमला।	13.10.2017
8.	आशुभाषण	युवा समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र, भारत सरकार, डोगरा लॉज, शिमला–171004	14.10.2017
9.	प्रश्न मंच	पासपोर्ट कार्यालय, रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, शिमला (फोन–2652395)	17.10.2017
10.	नारा लेखन	महालेखाकार (लेखा व हकदारी), गार्टन कैसल बिल्डिंग, शिमला (फोन–2824935)	24.10.2017
11.	वाद–विवाद	महालेखाकार (लेखा–परीक्षा), गार्टन कैसल बिल्डिंग, शिमला	25.10.2017

- **अनुरोध है कि इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के नाम ई मेल : tolicshimla@gmail.com द्वारा इस कार्यालय को शीघ्र भेजें ताकि इनका आयोजन सुचारू रूप से किया जा सके।**

- **जिन कार्यालयों में प्रतियोगिताएं की जा रही हैं उनसे अनुरोध है कि वे प्रतिभागियों की सूची प्रतियोगिता से पहले अध्यक्ष कार्यालय से ले लें। सूची को नराकास शिमला की बैवसाईट पर भी डाला जाएगा।**

- **संबंधित कार्यालय स्वयं निर्णायक नियुक्त करें और परिणाम की प्रति अध्यक्ष कार्यालय को भेजें।**

- **यदि कोई कार्यालय तिथि में परिवर्तन चाहता है तो वे नई तिथि की जानकारी अध्यक्ष कार्यालय को दें ताकि इसे समिति की बैवसाइट में डाला जा सके।**

अपने समापन संबोधन में प्रधान आयकर आयुक्त श्री प्रीतम सिंह जी ने ने कहा कि;

- "आज बैठक में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया है इसके लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र है और वे सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हैं।

- कई कार्यालयों में बहुत अच्छा कार्य हिन्दी में हो रहा है। निसंदेह वे बधाई के पात्र है लेकिन कुछ कार्यालयों में थोड़ी कमी है अतः वे और अधिक प्रयास करें। हिन्दी हमारी मातृभाषा है अतः हिन्दी में काम करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं है केवल थोड़े से प्रयास करने की आवश्यकता है।

- हिन्दी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रीय पहचान है इसलिए हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि हम हिन्दी का स्थान अंग्रेजी को न दें। हिन्दी में कार्य करके हमें राष्ट्रीय गर्व महसूस होना चाहिए। आजादी के 70 वर्ष बाद भी हिन्दी लागू नहीं हो पाई है जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। सभी देश अपनी स्थानीय भाषाओं में ही कार्य करते हैं। हम सभी को इस दिशा में अवश्य सोचना चाहिए।

Scanned by CamScanner

- ❖ हमारी समिति का कार्य बहुत अच्छा है क्योंकि हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस वर्ष भी हम काफी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं में सभी कार्यालयों से अधिक से अधिक प्रतिभागी भाग लें।
- ❖ पत्रिका के लिए विज्ञापन देकर सहयोग करें और अच्छी रचनाएं भेजें। हम शीघ्र ही वार्षिक समारोह की तिथि भी निर्धारित करेंगे। सभी सदस्य इसमें सक्रिय सहयोग करें।
- ❖ हमारे सदस्य सचिव दो दिन बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्होंने हमारी समिति को सक्रिय बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। निःसंदेह इनके जाने के बाद हमें काफी कठिनाई होगी। मैं आशा करता हूँ कि इनका सहयोग और मार्ग–दर्शन हमें बाद में भी मिलता रहेगा। मैं समिति के सभी सदस्यों की ओर से इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ।"

सदस्य सचिव ने कहा कि "अतिरिक्त कार्यभार होने के बावजूद मैंने अपनी ओर से काफी प्रयास किए हैं और इसके लिए अध्यक्ष महोदय का मार्ग दर्शन और सभी सदस्यों का सहयोग, सम्मान और स्नेह मिला है मैं सभी सदस्यों का इसके लिए हार्दिक आभारी हूँ। मैंने प्रयास किया है कि मेरी बात से किसी को कोई कष्ट न हो फिर भी यदि किसी को मेरी बात से कभी कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।"

अंत में अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों के धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

अनुमोदित

(प्रीतम सिंह)
प्रधान आयकर आयुक्त एवं
उपाध्यक्ष नराकास, शिमला

(डॉ॰ सुरेन्द्र शर्मा)
उप–निदेशक एवं
सचिव न.रा.भा.का. समिति
मोबाईल नं. : +919530702020

Scanned by CamScanner